Conduct of Elections Rules, 1961 (Statutory Rules and Order) FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legistlative Assembly of RAJASTHAN (State) from 166-Kushalgarh (ST) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961,

I declare that –

Mrs. Ramila Khadiya

Village Potaliya Post Kalinjara Tehsil Kushalgarh District Banswara (Raj.) sponsored by-

(name of the recognised / registered political party) **INDEPENDENT** has been duly elected to fill the seat in that Assembly from the above constituency.

Place: Banswara

Dated: 11th December, 2018

(SUMAN MEENA)

Returning Officer

166 Kushalgarh (ST)Assembly Constituency
(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate)
Kushalgarh District Banswara (Rajasthan)

166-Kushalgarh(S.T.) Assembly Constituency (S.D.M. Kushalgarh)

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (सांविधिक नियम और आदेश)

प्ररुप 21 ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा 166—कुशलगढ़ (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन—क्षेत्र से राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि—

श्रीमती रमीला खड़िया

ग्राम पोटलिया पोस्ट कलिंजरा तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)

— (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए। निर्दलीय

उपर्युक्त निर्वाचन—क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रुप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बांसवाड़ा

तारीख: 11 दिसम्बर, 2018

(सुमन मीणा) रिटर्निंग ऑफिसर

166—कुशस्त्राद्ध(अजिन्नाः) सिमानुसीग निर्वाचन—क्षेत्र (उक्किप्रद्वः) अधिकारी एवं उपखण्ड आजिस्ट्रेट) सुरासनाई, जिला बॉसवाडा (र्श्वरिधान)